न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2019
तारीख दायर : 09.01.2019

अनवान

1. सुन्दरदेवी पत्नि हमीरलाल जाट निवासी जोजवातहसील माण्डलगढ़।

वादीया....

बनाम

1. राधेश्याम पिता नन्दा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. गोपाल पिता नन्दा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 22.03.2021

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित है जिसके आराजी संख्या 1694/1, 1695/1 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के पडौसी है। प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर 6 माह पूर्व वादिया की भूमि में करीब 3 बिस्वा भूमि पर अनधिकृत अवैध कब्जा कर लिया और जब वादी वादग्रस्त भूमि पर आया और उसने प्रतिवादी से निवेदन किया कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को छोड दे तो प्रतिवादी ने कहा कि यह मेरी ही जमीन है, तुम अपनी जमीन नपवा लो, यदि तुम्हारी जमीन होगी तो मै कब्जा छोड दूंगा। प्रतिवादी के उक्त कथन के पश्चात् वादी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया जिसके पश्चात् दिनांक 05.07.2018 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मुस्तकील मुकाम से जरीब चलाकर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी की गयी। पत्थरगढ़ी के बाद भी वादग्रस्त भूमि के 3 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा प्रतिवादी का पाया गया। दिनांक 02.08.2018 को पत्थरगढ़ी होने के बाद वादी ने प्रतिवादी से समझाइश की व वादग्रस्त आराजियात से कब्जा छोडने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने अवैध कब्जा छोडने से मना कर दिया। इसलिए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा सुपूर्द कराने एवं कब्जा सुपूर्द किए जाने के बाद पुनः अवैध कब्जा न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस सम्मन मय नकल वाद पत्र भेज करवाये जाकर तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 22.01.2019 को प्रतिवादी के जवाब का अवसर समाप्त कर वादी की साक्ष्य तलब की गयी। दिनांक 03.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को बाद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 26.0[illegible]2020 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 वादी सुन्दरदेवी पत्नि हमीरलाल जाट निवासी जोजवा के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि मेरे खातेदारी की जमीन ग्राम जोजवा में 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी राधेश्याम व गोपाल ने 3 बिस्वा जमीन पर नाजायज कब्जा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

कथन किया गया कि मेरे खातेदारी की जमीन ग्राम जोजवा में 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी राधेश्याम व गोपाल ने 3 बिस्वा जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। मुझे पता चलने पर मै जमीन पर आया तो रामलाल ने कहा कि आप जमीन नपवालों यदि मेरा नाजायज कब्जा आएगा तो मै छोड दूंगा। फिर मैने न्यायालय के आदेश से दिनांक 05.07.2018 को वादग्रस्त भूमि की मुश्तकिल मुटाम से जरीब चलाकर पत्थरगढ़ी करवाई। पत्थरगढ़ी के बाद भी प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोडा तो मैने न्यायालय में प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु यह दावा पेश किया। दावे के साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पेश की गयी जो कि प्रदर्श 1 है, राजस्व नक्शा प्रदर्श 2 है, पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरी जमीन पर से प्रतिवादी का नाजायज कब्जा हटाकर जमीन मुझे सुपूर्द की जावें। अन्य कोई गवाह पेश नहीं करने से शहादत वादी बन्द की गयी एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया जाने से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। अतः पत्रावली बहस अन्तिम हेतु नियत की गयी। दिनांक 26.02.2020 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 2 रामेश्वर पिता श्रीराम जाट निवासी जोजवा के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह पी0डब्ल्यू0 2 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि 1 बीघा जमीन है। और वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर था जो डेढ व र्ष पहले हुई थी। मौका पर्चा ए से बी तक मेरे हस्ताक्षर है। 3 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी राधेश्याम व गोपाल का कब्जा पाया गया। वादिया और उसके परिवार वालो ने कब्जा हटाने को कहा लेकिन कब्जा नही हटाया। कब्जा वादिया को ही दिलाया जावें। दिनांक 26.02.2020 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 3 राधेश्याम पिता नन्दा जाट निवासी जोजवा के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह पी0डब्ल्यू0 3 द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि वक्त पत्थरगढ़ी समय में वही था और मौका पर्चा सी से डी मेंरे हस्ताक्षर है। उक्त जमीन सुन्दर देवी के नाम पर है। जिसका कब्जा में और मेरे भाई गोपाल का ही कब्जा है। उक्त जमीन को सुन्दर देवी को सिपूर्द कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है। उक्त जमीन का कब्जा सुन्दर देवी को ही दिलाया जावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की पक्ष की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रदर्श 3 पत्थरगढ़ी के मौका पर्चा में भी वादग्रस्त आराजी संख्या 1694/1, 1695/1 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा किए जाने का तथ्य गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा वर्णित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा अवैध है तथा प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाना एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को पुनः सुपूर्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की कृषि भूमि 1694/1, 1695/1 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमिसे प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा वादी को सुपूर्द किया जावें। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

इजलास– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2019
तारीख दायर : 09.01.2019

अनवान

1. सुन्दरदेवी पत्नि हमीरलाल जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।

वादीया....

बनाम

1. राधेश्याम पिता नन्दा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. गोपाल पिता नन्दा जाट निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण....

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

: आदेश :

डिक्री दिनांक : 22.03.2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू वकील वादीया श्री सांवरमल रेबारी व प्रतिवादी की ओर से एकतरफा मिनजानिब मुदायलह [illegible] हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादीया अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा तहसील माण्डलगढ़ की कृषि भूमि 1694/1, 1695/1 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादीया को सुपूर्द करे। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़